अमन चौधरी जे. के समक्ष

सतपाल सिंह उपनाम सतपाला-याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी (गण) 2022 का सी. आर. एम. सं. 38302

28 अक्टूबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस.एस.173, 167-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-एस. एस. 22, 27ए, 36ए, 61-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाधीश के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका, जिसके तहत जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो महीने का विस्तार इस आधार पर दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी किए बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट का इंतजार किया गया था और याचिकाकर्ताओं की डिफ़ॉल्ट जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि भले ही प्रावधान विशेष रूप से विस्तार की मांग करते हुए आरोपी को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं देता है, फिर भी नोटिस जारी करने को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए-ऐसी आवश्यकता प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के अनुरूप है-धारा 36ए (4) में परिकल्पना की गई है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति साथ साथ ही 180 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्तों की नजरबंदी की मांग करने के लिए विशिष्ट और सम्मोहक कारण भी बताये जाने चाहिए और समय बढ़ाने की मांग करने का एकमात्र आधार एफ्. एस. एल की रिपोर्ट की मांग की थी। जो कानून याचिका याचिकर्ताओ के आदेश के अनुरूप नहीं है। याचिका सविकृत! डिफाल्ट जमानत पैर रिहा किया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 36-ए (4) के उपबंध की, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, परिकल्पना की गई है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति के साथ-साथ 180 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में लेने की मांग करने के लिए विशिष्ट और सम्मोहक कारणों का भी संकेत होना चाहिए। चूंकि, लोक अभियोजक की रिपोर्ट अधिनियम की खंड 36-ए की उप-खंड 4 के प्रावधान में पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए यह अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि 180 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त की हिरासत उसमें बताए गए कारणों पर निर्भर करती है, साथ ही उसके द्वारा देखी गई जांच की प्रगति, उसके सामने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, अपना दिमाग लगाने पर, जिस पर उसे अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार की मांग करने के लिए विचार करना आवश्यक है। उसी की स्वीकृति के परिणाम अभियुक्त की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यह इन परिस्थितियों में है कि माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय में पूर्व-निर्दिष्ट निर्णयों में परंतुक की आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन पर जोर दिया है।

1547 सतपाल सिंह उपनाम सतपाल बनाम हरियाणा राज्य

(अमन चौधरी, जे.)

(पैरा 17)

आगे अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए बिना जाँच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने और खंड 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत उनके द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किए जाने योग्य हैं।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ताओं की ओर से विकास बिश्नोई और अधिवक्ता बी. एस. जटाना

अदिति गिरधर, ए. ए. जी., हरियाणा।

अमन चौधरी, जे.

(1) याचिकाकर्ताओं द्वारा खंड 167 (2) द.प्र.स. के तहत जमानत के लिए दायर किए गए आवेदन के रूप में चालान प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए, जांच एजेंसी द्वारा दायर किए गए आवेदन की तारीख 26.03.2021 की रिकॉर्ड प्रति रखने के लिए इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-09-2022 के संदर्भ में तत्काल आवेदन दायर किए गए हैं जो कि खंड 167 (2) द.प्र.स. के तहत जमानत के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जैसा कि संलग्नक पी-2, लोक अभियोजक की तारीख 26.03.2021 की रिपोर्ट संलग्नक पी-3 के रूप में है।

(2) आवेदनों में बताए गए कारणों के लिए सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन इसकी अनुमति है। तदनुसार, अनुलग्नक पी-1 से पी-3 रिकॉर्ड में लिया जाता है।

(3) इस याचिका में दी गई चुनौती फतेहाबाद के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 26.03.2021 और 06.04.2021 के आदेशों के लिए है।

(4) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संस्करण यह है कि 03.10.2020 को मौका से वसूली के दौरान दो युवा लड़कों में से एक सरकारी वाहन को आते हुए देखकर तेजी से चलने लगे, एक लखन सोनी अपने दाहिने हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का थैला पकड़े हुए पाया गया, जिसमें तलाशी लेने पर 694.32 ग्राम वजन की ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 880 गोलियां मिली, जिसमें याचिकाकर्ता नं. 2 के खिलाफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'द एक्ट') की धारा 22 (सी)/27-ए/61/85 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241 दिनांक 03.10.2020 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता नं. 2 ने उसी दिन जांच के दौरान दिए गए अपने प्रकटीकरण बयान में सतपाल उपनाम सतपाल-याचिकाकर्ता नं.1 नाम का उल्लेख किया जिस को 03.10.2020 को भी गिरफ्तार किया गया था।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं को 04.10.2020 पर निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया था। बरामद मादक पदार्थ एन. डी. पी. एस. अधिनियम में अनुसूची के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी के तहत आता है, जिसके लिए न्यूनतम सजा 10 साल है, इस प्रकार, जांच पूरी करने और खंड 173 दंड प्रकिया सहिंता के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि वर्तमान मामले में उक्त अवधि 02.04.2021 को पूरी

की जानी थी। हालांकि, एस. एच. ओ. द्वारा दिनांकित 26.03.2021, संलग्नक पी-1 का एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

(6) विद्वान वकील ने उक्त आवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि नमूना पार्सल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन को भेजे गए थे, जिसके बारे में 23.03.2021 को पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद ने पहले ही विशेष संदेशवाहक द्वारा से निदेशक, एफ.एस.एल, मधुबन को एक आधिकारिक पत्र भेजा था, लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। याचिकाकर्ताओं और लखन सोनी के खिलाफ चालान पहले ही तैयार किया जा चुका है, जो जांच की प्रक्रिया में था लेकिन एफ.एस.एल. की जांच रिपोर्ट के बिना अधूरा था। उक्त आवेदन को उसी दिन 26.03.2021 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी किए बिना अनुमति दी गई थी, जिसका आदेश इस मामले में आक्षेपित किया गया है।विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान लोक अभियोजक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021, संलग्नक पी-3 की ओर आकर्षित करता है, ताकि उसकी इस दलील को मजबूत किया जा सके कि जांच में कोई प्रगति का संकेत नहीं दिया गया था और उससे आने वाला एकमात्र कारण यह था कि एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, इस प्रकार लोक अभियोजक ने कहा था कि चालान प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में एसएचओ द्वारा दिनांकित 26.03.2021 का अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है।

(7) विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि 183 वें दिन यानी दिनांक 05.04.2021 को, याचिकाकर्ताओं द्वारा दंड प्रकिया सहिंता की खंड 167 (2) के तहत एक आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि वे 04.10.2020 यानी 182 वें दिन से न्यायिक जमानत में थे और पुलिस ने उस तारीख तक वह चालान जमा नहीं किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं की न्यायिक जमानत के 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाना था। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2021 के आदेश अनुसार इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एस. एच. ओ. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय बढ़ाने के लिए दायर आवेदन को पहले ही दिनांक 26.03.2021, संलग्नक पी-1 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी जा चुकी थी। उन्होंने उक्त आदेश, संलग्नक पी-1 का उल्लेख करते हुए आगे तर्क दिया कि अनुरोध की प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई थी।

राज्य के लोक अभियोजक की ओर से यह कहा गया कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि चालान पेश करने के लिए समय बढ़ाने के लिए दिनांकित 26.03.2021 आदेश, डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने का आधार होने के कारण, वर्तमान मामले में भी आक्षेप किया जा रहा है।

(8) विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि निचली अदालत ने अपने दिनांक 26.03.2021 के आदेश के माध्यम से जांच को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए गलती की पहली यह कि याचिकाकर्ताओं को आवश्यकतानुसार उक्त आवेदन का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1994 ए. आई. आर. (सर्वोच्च न्यायालय) 2623 और संजय कुमार केडिया @ संजय केडिया बनाम खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, (2009) 17 एस. सी. सी. 631 के मामलों में किया गया था और दूसरी यह कि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट केवल एक तथ्य पर आधारित थी कि मामले में जांच की प्रगति के किसी भी संदर्भ के बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट का इंतजार किया गया था और 180 दिनों की अवधि से आगे आरोपी-याचिकाकर्ताओं की हिरासत की मांग करने के लिए ठोस कारणों को निर्दिष्ट किया गया था, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संजय कुमार केडिया (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था और इस न्यायालय के फैसलों में सी. आर. एम.-एम. 3339-2014 शीर्षक 'नरेन्द्र इंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य' ने 04.02.2014, सी. आर. एम.-एम. 39703-2013 पर 'संजीव कुमार बनाम पंजाब राज्य' शीर्षक से निर्णय लिया। पंजाब राज्य ने 04.12.2013 को सी. आर. आर. 2537 -2018 क फैसला होशियार सिंह @ गोरा बनाम पंजाब राज्य 17.11.2018 क फैसला सी.आर.एम. एम. 20708-2015 के शीर्षक हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का 09.07.2015 का है। सी.आर. आर. शीर्षक परदीप बनाम हरयाणा राज्य 17.08.2021 क फैसला हुआ। इस प्रकार, विद्वान वकील द्वारा यह प्रचार किया गया कि इस मामले में लोक अभियोजक की रिपोर्ट में उल्लिखित समय बढ़ाने की मांग के लिए एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति न होने का आधार, जिसके आधार पर संबंधित एस. एच. ओ. द्वारा आवेदन दायर किया गया था और अनुमति दी गई थी, समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह अधिनियम की खंड 36-ए (4) के अनिवार्य प्रावधान और निर्णयों का उल्लंघन था।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि एक बार एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण समय बढ़ाने की मांग करने का आधार कानून में गलत था, तदनुसार, उसी के आधार पर विस्तार देने का आदेश भी एक त्रुटि थी, जो निचली अदालत द्वारा की गई थी।

(10) इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करते हैं कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग के लिए आवेदन समय के भीतर यानी 26.03.2021 पर दायर किया गया था और इसकी अनुमति दी गई थी।

लोक अभियोजक ने अपनी रिपोर्ट में वैध कारण दिए थे, जो जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए पर्याप्त थे, जो कि एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं थी, जो हर तरह से चालान पूरा करने और आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए आवश्यक थी।हालाँकि, वह इस तथ्य का खंडन करने में असमर्थ हैं कि उक्त आवेदन का नोटिस याचिकाकर्ताओं को अदालत द्वारा अनुमति देने से पहले जारी नहीं किया गया था।वह आगे प्रस्तुत करती है कि अधिनियम में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि इस तरह का विस्तार देने से पहले नोटिस जारी करने की आवश्यकता है।इसलिए वह प्रस्तुत करेंगी कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 167 (2) के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था।

(11) पक्षों के विद्वान् वकील दुआरा दी गई दलील को विस्तार से सुना।

(12) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की खंड 36-ए की सुसंगत उप-खंड 4 इस प्रकार हैः-

“धारा 36 क।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

(a) से (d) XXX

(2) & (3) XXXXXX

(4) खंड 19 या खंड 24 या खंड 27 क के तहत दंडनीय अपराध या वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की खंड 167 की उप-खंड (2) में "नब्बे दिन" के संदर्भ, जहां वे होते हैं, का अर्थ "एक सौ अस्सी दिन" के संदर्भ के रूप में किया जाएगाःबशर्ते कि, यदि एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो विशेष न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच की प्रगति और एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि से आगे आरोपी को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

(5) XXXXXX

(13) आगे बढ़ने से पहले, हितेंद्र विष्णु ठाकुर (उपरोकत) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ देना उचित है, जिसमें यह देखा गया था कि हालांकि खंड (बी) के प्रावधान ओर (बी. बी.) की धारा 20 की उपधारा 4 के खंड टाडा मे , यह विशेष रूप से नोटिस जारी करने के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन यह माना गया था कि इस तरह के नोटिस जारी करने को अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के हित में और साथ ही पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए इन प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए।

(14) इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजय कुमार केडिया (उपरोक्त) के मामले में, पालन की जाने वाली सख्त शर्तों को सूचीबद्ध किया, इस संबंध में प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः-

"10.संहिता की खंड 167 (2) के तहत निर्धारित 90 दिनों की अधिकतम अवधि को अधिनियम के तहत अपराधों की कई श्रेणियों के लिए बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, लेकिन परंतुक हिरासत की एक और अवधि को अधिकृत करता है जो कुल मिलाकर एक वर्ष तक जा सकती है, बशर्ते कि उसमें प्रदान की गई कड़ी शर्तों को पूरा किया जाए और उनका पालन किया जाए।दी गई शर्तें इस प्रकार हैंः

(1) लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट, (2) जो जांच की प्रगति को इंगित करती है, और (3) 180 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में लेने की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारणों को निर्दिष्ट करती है, और (4) अभियुक्त को नोटिस के बाद।

11 से 15 तक x x x x x

16. इसलिए, हमारी राय है कि खंड 36 ए (4) के प्रावधान के तहत जांच विभाग को दिए गए विस्तार ने उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया और इसलिए दोनों विस्तार, कानून के विपरीत होने के कारण, तदनुसार रद्द किए जाने चाहिए।

(15) नरदेव इंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम की खंड 36-ए के प्रावधानों का पालन न करने को देखते हुए डिफ़ॉल्ट जमानत देते हुए, जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन में उद्धृत एकमात्र कारण और आधार रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना था।लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जाँच की प्रगति के साथ-साथ 180 दिनों की अवधि से अधिक समय तक अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए विशिष्ट और ठोस कारणों का भी संकेत नहीं दिया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि जाँच पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का आदेश निचली अदालत द्वारा नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था।यह भी निम्नानुसार देखा गयाः-

"7.हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1994 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 156 जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय टाडा की खंड 20 की उप-खंड (4) में खंड (बी. बी.) के रूप में अंतःस्थापित परंतुक से निपटने के लिए, जो अधिनियम की खंड 36-ए की उप-खंड (4) के परंतुक के साथ समानुपाती है, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि भले ही परंतुक विशेष रूप से विस्तार की मांग करते हुए अभियुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं देता है, फिर भी नोटिस जारी करने को उस प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए जो अभियुक्त के हित में, साथ ही अभियोजन पक्ष के साथ-साथ पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए भी होगा।इस तरह की आवश्यकता को प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के अनुरूप माना गया था।

(16) हाथ में मामले के प्रस्ताव के साथ, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में निर्विवाद रूप से ताकत पाता है, क्योंकि यह पक्षों का स्वीकृत मामला है कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विस्तार की मांग करने वाले आवेदन के आरोपी-याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जिसे उसी दिन निचली अदालत ने अनुमति दी थी और विस्तार की मांग करने का एकमात्र कारण एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं थी, जो प्रावधान और निर्णयों का उल्लंघन है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है।

(17) यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 36-ए (4) के प्रावधान की, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, परिकल्पना की गई है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति के साथ-साथ 180 दिनों की अवधि से अधिक समय तक अभियुक्त को हिरासत में रखने की मांग करने के लिए विशिष्ट और सम्मोहक कारणों का भी संकेत होना चाहिए। चूँकि, लोक अभियोजक की रिपोर्ट अधिनियम की धारा 36-ए की खंड 4 के परंतुक में पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए यह अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि 180 दिनों की अवधि से आगे अभियुक्त की हिरासत उसमें बताए गए कारणों पर निर्भर करती है, साथ ही उसके द्वारा देखी गई जांच की प्रगति, उसके सामने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, अपना दिमाग लगाने पर, जिस पर उसे अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार की मांग करने के लिए विचार करना आवश्यक है।उसी की स्वीकृति का परिणाम अभियुक्त की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।इन परिस्थितियों में

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने पूर्व-निर्दिष्ट निर्णयों में परंतुक की आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन पर जोर दिया है।

(18) जहाँ तक इस मामले में लोक अभियोजक की रिपोर्ट का संबंध है, उसमें एकमात्र आधार के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए दिया गया है।

एफ. एस. एल. रिपोर्ट की आवश्यकता थी, जो कानून के जनादेश के अनुरूप नहीं है।

(19) एक बार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अर्जित किए गए अक्षम्य अधिकार को निचली अदालत द्वारा संजय कुमार केडिया (उपरोक्त) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कड़ी शर्तों के अनुपालन पर विचार किए बिना और खुद को संतुष्ट किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था।

(20) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए बिना जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने और खंड 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत उनके द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(21) नतीजतन, और इसकी अगली कड़ी के रूप में, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा पारित दिनांकित 26.03.2021 और 06.04.2021 आदेशों को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को संबंधित निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उनकी जमानत/भारी जमानत बांड पर डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।याचिकाकर्ता निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना करेंगेः-

1. याचिकाकर्ता इस दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

2. याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह को दबाव/धमकी नहीं देंगे।

3. याचिकाकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक शपथ पत्र के माध्यम से एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे, जब तक कि उन्हें अदालत के एक विशिष्ट आदेश द्वारा छूट नहीं दी जाती है।

4. याचिकाकर्ता उस अपराध के समान अपराध नहीं करेंगे जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है, या जिसके करने के लिए उन पर संदेह है।

5. याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर, प्रेरित, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

6. याचिकाकर्ता अपने संबंधित पते और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी/ट्रायल कोर्ट को तुरंत प्रस्तुत करेंगे और मुकदमे के अंत तक इसे नहीं बदलेंगे। विचारण के मामले में और किसी भी कारण से याचिकाकर्ता उपरोक्त में से किसी को भी बदलना चाहते हैं, तो यह जांच अधिकारी/विचारण न्यायालय को पूर्व सूचना के अधीन होगा।

7. याचिकाकर्ता किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।किसी भी उल्लंघन के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए लाभ को वापस लेना होगा।

8. याचिकाकर्ता अपने पासपोर्ट, यदि कोई हैं, तो जांच अधिकारी/निचली अदालत में तुरंत जमा करेंगे और यदि उनके पास वे नहीं हैं, तो वे इस संबंध में एक विशिष्ट शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(22) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी भंग के मामले में, राज्य इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आगे स्पष्ट करता है कि उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान कार्यवाहियों के उद्देश्य के लिए सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय के रूप में नहीं माना जाएगा और मुकदमा उपरोक्त टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा।

दिव्या गुर्नी

गुलशन कुमार

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।